संख्या:-36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1. लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2021

विषयः- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2064/76-1-2020-25सम/2019, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-16/2021/948/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019, दिनांक 19 मार्च, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अन्य बिन्दुओं के साथ यह भी निर्देश दिये गये थे कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा रू0 2.00 करोड तक की लागत की समस्त डी0पी0आर0 की सूची एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना 15 दिन के अन्दर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा रू0 2.00 करोड तक की लागत के कतिपय डी0पी0आर0 नमूना परीक्षण हेतु प्राप्त करते हुए राज्य स्तर पर तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा रू0 5.00 करोड तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

3- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 36/2021/1599(1)/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतितिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव